भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4094

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन

4094. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सहित राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जल क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों से निपटने के क्रम में राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के पुनरीक्षण की परिकल्पना की है और राष्ट्रीय जल नीति का संशोधन करने के लिए 05 नवंबर, 2019 को एक प्रारूपण समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय जल नीति का संशोधन करने की इस प्रक्रिया में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों सहित विभिन्न शेयर धारकों के परामर्श शामिल हैं।

******